[redacted]

न्यायालय – माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक :– /2017–18 निगरानी R 1227–II–17

1– बाकेलाल रावत पुत्र श्री गुलाब आयु 56 वर्ष

2– रामकिशोर रावत पुत्र श्री गुलाब आयु 40 वर्ष निवासीगण ग्राम अनछोरा तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना म0प्र0 .... निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण

श्री एम० एल० बंसल, अभि० द्वारा आज दि. 25.4.17 को प्रस्तुत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 25.4.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1– रामदीन पुत्र खेमराज रावत आयु 50 वर्ष

2– विजय सिंह पुत्र खेमराज आयु 45 वर्ष

3– राजेश पुत्र खेमराज आयु 40 वर्ष

4– रामदेही पुत्री खेमराज आयु 38 वर्ष

5– सरोज पुत्री खेमराज आयु 30 वर्ष निवासीगण ग्राम अनछोरा तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना म0प्र02– श्री गम्भीर सिंह पुत्र श्री दधिराम जाति लोधी निवासी ग्राम खेरिया पदमपुर मुरार परगना व जिला ग्वालियर .... रेस्पोडेण्ट्स/प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 28.03.2017 प्रकरण कमांक 1/2015–16/अ–70 पारित नायाब तहसीलदार वृत–1 टेटरा परगना सबलगढ़ जिला मुरैना

माननीय महोदय

प्रार्थीगण की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यहकि, रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध अधिनस्थ विचारण न्यायालय में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 250 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता का प्रस्तुत कर अभिवचन किया कि भूमि सर्वे कमांक 322 रकबा 0.370 हैक्टर तथा सर्वे कमांक 67 रकबा 0.800 हैक्टर की भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर लिया हैं व टेक्टर चलाकर जोत दिया है कब्जा बापिस दिलाया जावे।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1227–दो/17 जिला–मुरैना

थाना दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–05–17	आवेदक के अधिवकता श्री एम0 एम0 बसंल द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त –1 टेटरा तहसील सबलगढ जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 1/2015–16/अ–70 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 28.3.17 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण की तामीन होने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रारंभिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सव्रे कमांक 322 रकवा 0.370 हैक्टर में आवेदकगण का हिस्सा 10/37 लीला देवी का हिस्सा 15/37 दरभाग 2/3 बीरबल का भाग 1/3 स्वामी है। उपरोक्त भूमि पर आवेदकगण अपने पिता व पूर्वजों के समय से संपूर्ण रकवा पर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे हैं। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।	

3– मेरे द्वारा अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी की रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदकगण की आपत्ति निरस्त की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार का अंतिरिम आदेश दिनांक 28.3.17 स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य